भारतीय पथकर अधिनियम, 1864

धाराओं का क्रम

धाराएं

उद्देशिका।

1. 1851 के अधिनियम सं० 8 की अनुसूची निरसित, और दूसरी अनुसूची प्रतिस्थापित।

2. पथकर कलक्टर 1851 के अधिनियम सं० 8 या इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय पथकर के लिए समझौता कर सकेंगे।

3. अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति।

4. निर्वचन-खंड। स्थानीय सरकार।

अनुसूची।

भारतीय पथकर अधिनियम, 1864[1]

(1864 का अधिनियम संख्यांक 15)

[24 मार्च, 1864]

(सार्वजनिक सड़कों तथा पुलों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने वाले) 1851 के अधिनियम सं० 8 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

उद्देशिका—(सार्वजनिक सड़कों तथा पुलों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने वाले) 1851 के अधिनियम सं० 8 द्वारा पथकर के उद्ग्रहण के लिए प्राधिकार दिया गया था [2]***; अत: निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. [1851 के अधिनियम सं० 8 की अनुसूची निरसित, और दूसरी अनुसूची प्रतिस्थापित ।]—दि डिवोल्यूशन ऐक्ट, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा लुप्त ।

2. पथकर कलक्टर 1851 के अधिनियम सं० 8 या इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय पथकर के लिए समझौता कर सकेंगे—कोई व्यक्ति, जिसे 1851 के [3]अधिनियम सं० 8 के अधीन पथकर के संग्रहण का प्रबन्ध सौंपा गया है, एक वर्ष से अनधिक की किसी अवधि के लिए किसी व्यक्ति के साथ स्वविवेकानुसार, यह समझौता कर सकेगा कि वह व्यक्ति स्वयं अपने लिए या अपने द्वारा रखे गए किसी यान या पशु के लिए, [4][1851 के उक्त अधिनियम सं० 8 के अधीन उद्गृहीत किए जाने के लिए प्राधिकृत] पथकर के बदले में, एक निश्चित रकम अदा कर दे ।

3. अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति—राज्य सरकार इस [5]अधिनियम का उस स्थान पर विस्तार कर सकेगा जहां 1851 का उक्त अधिनियम सं० 8 प्रवृत्त है; और किसी ऐसे स्थान की राज्य सरकार, जहां 1851 का उक्त अधिनियम सं० 8 प्रवृत्त नहीं है, वहां 1851 के उक्त अधिनियम सं० 8 का तथा इस अधिनियम का उस स्थान पर विस्तार कर सकेगी[6] ।

4. [निर्वचन-खंड । स्थानीय सरकार ।]—भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित ।

[अनुसूची ।]—दि डिवोल्यूशन ऐक्ट, 1920 (1920 का 38) की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा लुप्त ।

---

[1] संक्षिप्त नाम, भारतीय संक्षिप्त नाम अधिनियम, 1897 (1897 का 14) द्वारा दिया गया ।

यह अधिनियम संथाल परगना में, संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा, मध्य प्रान्त और सम्बलपुर जिले में मध्य प्रान्त विधि अधिनियम, 1875 (1875 का 20) द्वारा प्रवृत्त होना घोषित किया गया ।

अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूचित जिलों में इसका प्रवृत्त होना घोषित किया गया, अर्थात् :—

हजारी बाग, लोहारडागा (अब जिला रांची, देखिए—कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृ० 44) तथा मानभूम जिले और सिंहभूम जिले में परगना दालभूम तथा कोल्हन..देखिए—भारत का राजपत्र, 1881, भाग 1, पृ० 504 ।

लाहौल जिले में...देखिए—भारत का राजपत्र, 1886, भाग 1, पृ० 301 ।

इसका पश्चात्वर्ती उल्लिखित अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिसूचना द्वारा कुर्ग के अनुसूचित जिले पर विस्तार किया गया । देखिए भारत का राजपत्र, 1878, भाग 1, पृ० 45 ।

इसे, 1851 के अधिनियम सं० 8 सहित अजमेर-मेरवाड़ा पर,..................देखिए—भारत का राजपत्र, 1889, भाग 2, पृ० 562;

विशाखापत्तनम और गंजाम में अनुसूचित जिलों पर क्रमश: देखिए—फोर्ट सेन्ट जार्ज गजट, 1899, भाग 1, पृ० 1486 और फोर्ट सेन्ट जार्ज गजट, 1900, भाग 1, पृ० 1101, और दार्जिलिंग के जिले पर, देखिए—कलकत्ता राजपत्र, 1934, भाग 1, पृष्ठ 179, विस्तारित किया गया ।

1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अधिनियम का विस्तार पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर किया गया ।

अधिनियम पंजाब में 24 मार्च, 1864 में प्रवृत्त हुआ और किया गया समझा जाएगा, देखिए—भारतीय पथकर अधिनियम, 1888 (1888 का 8) की धारा 1 और 1888 का अधिनियम सं० 8 के पारित होने से पूर्व अधिनियम के अधीन उद्गृहीत या उद्गृहीत किए जाने के लिए तात्पर्यित पथकर विधिपूर्वक उद्गृहीत किए गए समझे जाने हैं, देखिए—भारतीय पथकर अधिनियम, 1888 (1888 का 8) की धारा 3 ।

1958 के मैसूर अधिनियम सं० 29 द्वारा मैसूर में अधिनियम निरसित किया गया ।

1975 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं० 17 द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अधिनियम संशोधित किया गया ।

[2] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "1851 का कथित अधिनियम 8 की अनुसूची में या इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] बम्बई प्रेसिडेन्सी में अब पथकर का विनियमन कर रहा अधिनियम सड़कों और पुलों पर पथकर अधिनियम, 1875 (1875 का बम्बई 3) है । उस अधिनियम ने बम्बई प्रेसिडेन्सी में 1851 का अधिनियम 8 निरसित कर दिया, देखिए—धारा 1, और घोषित किया कि 1864 का अधिनियम 15, 30 जुलाई, 1864 से विस्तारित किया गया समझा जाना चाहिए, देखिए—धारा 2 ।

[6] 1851 का अधिनियम सं० 8 और यह अधिनियम अवध पर (देखिए—भारत का राजपत्र, 1865, भाग 1, पृ० 777), मध्य प्रान्त पर (देखिए—भारत का राजपत्र, 1871, भाग 1, पृ० 611), और लखीमपुर जिले पर (देखिए—असम राजपत्र, 1935, भाग II, पृ० 1025, विस्तारित किया गया ।

1851 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 में, प्रान्तों के किसी भाग में, जिन पर वह अधिनियम या यह अधिनियम विस्तारित किया जाए या किया गया हो, प्रान्तों के किसी भाग में प्रान्तीय सरकार के विनिर्दिष्ट न किए गए प्राधिकार के विषय में, देखिए—भारतीय पथकर अधिनियम, 1888 (1888 का 8) की धारा 2(1) ।